गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच हेतु विधिक सहायता

गरीबी उन्मूलन योजना तक पहुंच चाहने वाले सभी योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं स्वयंसेवकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में, अन्य बातों के साथ, निम्न सम्मिलित हैं:-

1. योजना लाभार्थी को प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना, जिसका वो हकदार है और उसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ के विषय में सूचित करना,
2. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में योजना लाभार्थियों की सहायता करना,
3. किसी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु संपर्क किये जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम एवं पते की सूचना योजना लाभार्थी को देना।
4. किसी भी गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत संपर्क किए जाने वाले पद नामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यक्रम तक योजना लाभार्थियों के साथ अर्ध-विधिक स्वयंसेवियों अथवा विधिक सेवा क्लीनिक के सदस्यों को भेजने का प्रस्ताव रखना।
5. योजना लाभार्थी को सूचित करना कि वो विधिक सहायता अधिकारी अथवा अर्ध-विधिक स्वयंसेवी को किसी भी गरीबी उनमूलन योजना से जुड़े पद नामित किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विषय में शिकायत करने का विकल्प रखता है जो योजना लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत लाभों को उपलब्ध करने में जिसका वो हकदार है उसका सहयोग करने से इंकार कर रहा हो,
6. डप-खंड (5) के अंतर्गत शिकायतों का अभिलेख रखना,
7. योजना लाभार्थियों को विधिक सहायता अधिकारी का दूरभाष नंबर उपलब्ध कराना यदि उपलब्ध हो और ऐसे लाभार्थियों को जिन्हें दूरभाष नंबर दिया गया है उन्हें कार्यकाल समय के दौरान विधिक सहायता प्राधिकारी की दूरभाष पर उपलब्धता के विषय में बताना।

शिकायत पर कार्यवाही

- ❖ शिकायत की प्राप्ति पर प्रत्येक विधिक सहायता प्राधिकारी शिकायतकर्ता लाभार्थी के साथ पदनामित प्राधिकारी के कार्यालय में जायेंगे तथा लाभार्थी को लाभ दिलाने में सहायता करेंगे जिसका गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत वह हकदार है।
- ❖ यदि किसी परिस्थिति में पदनामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता लाभार्थी को गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करने में विफल रहता है तो विधिक सहायता प्राधिकारी जिला प्राधिकारीगण को शिकायत करेंगे।
- ❖ पदनामित प्राधिकारी या अधिकारी की शिकायत प्राप्त होने पर जिला प्राधिकरण सम्बंधित अधिकारी से शिकायतकर्ता लाभार्थी को लाभ से वंचित किये जाने के कारणों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगेगा एवं पर्याप्त कारण नहीं बताए जाने की अवस्था में जिला प्राधिकरण तुरंत गरीबी उन्मूलन योजना में शामिल किये जाने से इंकार का विवरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को देगा।
- ❖ जिला प्राधिकरण की राय में यदि वरिष्ठ अधिकारी भी बिना पर्याप्त कारण गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत लाभ से रोकता है, तो जिला प्राधिकरण राज्य प्राधिकार को सूचित करेगा।
- ❖ ऐसी परिस्थिति में राज्य प्राधिकार सम्बन्धित विभाग से मामले को आगे बढ़ा सकता है ताकि योग्य लाभार्थी को लाभ मिले अथवा उचित विधिक कार्यवाही कर सकता है। शिकायतकर्ता को नियमित जानकारी दी जाएगी।

❑❑❑

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, राँची (झालसा)

नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 – संक्षिप्त परिदृश्य

केवल जन जागरूकता के लिए
प्रकाशन वर्ष : 2016

- किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची (0651–2481520) Website : www.jhalsa.org, Email : jhalsaranchi@gmail.com, फैक्स : 0651–2482397. (जिला स्तर पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- सूचना – सह सामग्री केवल जन जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।

न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, डोरण्डा, राँची
यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

पृष्ठभूमि

यह योजना इस आधार पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहुआयामी अनुभव है और केवल आय सम्बंधित समस्याओं तक सीमित नहीं होती है। बहुआयामी गरीबी, स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करते हुए), घर, आहार, रोजगार, पेंशन, मैत्रिक देखरेख, शिशु-भरण, पानी, शिक्षा, सफाई, सहायता एवं मौलिक सेवाओं, सामाजिक निष्कासन, पक्षपात इत्यादि जैसी समस्याओं को शामिल किये हुए है। आगे, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष योजनाओं को लागू करने हेतु पहचान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार से अपेक्षित है कि वो इस तथ्य का संज्ञान रखें कि भिन्न निर्बल एवं पिछड़े समूह गरीबी का अद्भूत ढंग से अनुभव करते हैं। यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी की वजह से मानवीय गरीमा से जीने पर आंच न आये।

योजना का लक्ष्य

योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं:-

- समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग को दिए गए लाभों एवं मौलिक अधिकारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना।
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं को लेने में अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा तालुका स्तरों पर विधिक सहायता एवं सहयोग सेवा को सशक्त बनाना।
- जिला प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्यों, पैनल अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, अर्द्धविधिक स्वयंसेवी तथा विधिक सहायता क्लीनिक के छात्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना।
- समस्त प्रभावी क्रेंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति-निर्देश, परम्पराओं, नियमों एवं प्रतिवेदनों का, जो गरीबी उन्मूलन योजना के संबंध में उपलब्ध हो, साथ ही इन योजनाओं पे नवीनतम निधि जानकारियों का लेखा तैयार करना।
- पैनल अधिवक्तागण, अर्धविधिक स्वयंसेवकों, गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अधीन अधिकारियों, विधिक सहायता क्लिनिक के स्वयंसेवकों हेतु प्रशिक्षण एवं दिग्विन्यास कार्यक्रम का उपबंध एवं आयोजित करना ताकि उनका हुनर बढ़ाया जा सके और उनके अन्दर इस योजना को लागू करने हेतु इससे जुड़ने का गहरा सदभाव पैदा हो सके।
- समस्त सरकारी निकायों अथवा पदाधिकारियों, संस्थाओं, अधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं जो समाज के सामाजिक/आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के कल्याण से सम्बंधित जिम्मेदारियां लिए हुए हैं उनके बीच प्रभावी सम्बन्ध एवं संपर्क बढ़ाना।

गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान

प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, राज्य में लागू वर्तमान तथा सक्रिय गरीबी उन्मूलन योजनाओं की पहचान करेगा तथा इसकी एक सूची प्रत्येक बारह माह में राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उपलब्ध करायेगा। सूची में निम्न शामिल होंगे:-

(क) उस राज्य में लागू गरीबी उन्मूलन योजनाओं के साथ-साथ विशेष जिले जिनमे वह लागू है।

(ख) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत आशयित लाभार्थी।

(ग) योजना के अन्तर्गत प्राधिकारी अथवा अधिकारी के नाम।

(घ) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची जैसा कि प्रत्येक के अंतर्गत पहचान की गई है।

(ङ) प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत लाभ जैसा कि उनमें से प्रत्येक के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

(च) क्रेंदीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा, जैसा भी मामला हो, विशेष वर्ष हेतु प्रत्येक गरीबी उन्मूलन योजना के लिए आवंटित की गई निधि की राशि,

2. प्रत्येक जिले का नाम जहां विशेष वर्ष हेतु गरीबी उन्मूलन योजना लागू की जानी है।

3. उपखंड (1) के अंतर्गत तैयार की गई सूची की प्राप्ति पर, इस सूची की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर निम्न को सूची की प्रतिलिपि भेजेगा:-

(अ) जिले का समस्त तालुका विधिक सेवा समितियां

(आ) जिले के समस्त ग्राम पंचायतों

(इ) विधिक सेवा क्लिनिक में कार्य करने वाले लोगों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध विधिक स्वयंसेवकों जो योजना को लागू करने में सहायता देने हेतु तत्पर हों।

जागरूकता कार्यकलापों का संयोजन

- राज्य प्राधिकरण संप्रक्त जिला प्राधिकरण के सहयोग से जिले में उपलब्ध भिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को संयोजित करने हेतु कदम उठाएगा। तालुका विधिक सेवा समितियों द्वारा भी पंचायत सभाओं, टाउन हाल सभाओं, पल्स पोलियो शिविर, त्यौहार गोष्ठियों अथवा अन्य ग्राम गोष्ठियों में गरीबी उन्मूलन योजनाओं तक पहुंच हेतु उपलब्ध विधिक सेवाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कदम उठाए जायेंगे।

विधिक सहायता प्राधिकारीगण एवं अर्ध-विधिक स्वयंसेवी

1. इस योजना के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिला प्राधिकरण एवं तालुक विधिक सेवा समिति न्यूनतम तीन पैनल अधिवक्ताओं को विधिक सहायता अधिकारी के रूप में पद नामित करेंगे।

2. अधिवक्तागण के पैनल, विधिक सेवा क्लिनिक में कार्यरत सदस्यों, पंचायत सदस्यों, विधि छात्रगण एवं अन्य अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों को योजना को लागू करने में सहयोग देने एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों की आवश्यकताओं के विषय में संवेदनशील बनाने और उन्हें गरीबी उन्मूलन योजनाओं द्वारा क्या-क्या लाभ उपलब्ध होने वाले हैं ये बताने हेतु जिला प्राधिकरण विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन करेंगे।